न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 70 / 2013

1 तिलोकचन्द आयु 52 वर्ष पुत्र गीगराज जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 32 टीबडो का बास फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 दुर्गाराम आयु 75 वर्ष पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 32 टीबडो का बास फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
2 हल्का पटवारी फतेहपुर।
3 उप पंजियक रामगढ़ शेखावाटी।
4 उपं पजियक फतेहपुर।
5 जिला कलेक्टर सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.10.2012
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर भागीरथ सिंह
प्रकरण संख्या 142 / 2012 बउनवानी प्रकरण
तिलोकचन्द बनाम दुर्गाराम

उपस्थिति :

1. श्री कन्हैयालाल, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 23.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा संख्या 142/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में कस्बा फतेहपुर व गोडिया हल्का तन दौलताबाद तहसील फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 963,726,758,19 बाबत उदघोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के विरूद्व पारित किया गया है, क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पक्षकारान के पूर्वज तुलछाराम थे, उनके दो पुत्र पूर्णाराम व गीगाराम के नाम 1/2,1/2 हिस्सा आना चाहिए, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अपूर्ण जानकारी लेकर उक्त कृषि भूमि अकेले पूर्णाराम के नाम ही अंकित कर दी तथा वादी के पिता गीगाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं ओर इसके पश्चात उक्त भूमि गीगाराम के पुत्र वादी तिलोकाराम के नाम दर्ज नहीं हुई। पक्षकारान प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार तथा लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने स्वंय न्यायालय में मय अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के दस्तख्त करवा कर राजीनामा को तस्दीक किया गया। जिसके बावजूद भी विचारण न्यायालय वादी का वाद खारिज फरमा दिया तथा वादी का वाद दिनांक 03.10.2012 को खारिज फरमा दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कथन किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
उप राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है कि " प्रतिवादी ने इकबाली जवाब पेश किया तथा शपथ पत्र PW.1 तिलोक, PW.3 नरोतम ने पेश किये, लेकिन मुख्य परीक्षण हेतु पेश नहीं हुए। विचारण न्यायालय का उक्त कथन बिना किसी औचित्य का है, क्योंकि दोनों पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया है तथा वादी के सम्पूर्ण कथनों को परिवादी ने स्वीकार कर लिया है तथा जिससे वादी व प्रतिवादी का उक्त कृषि भूमि पर 1/2,1/2 हिस्से पर कब्जा व काश्त साबित है। साक्ष्य विधिनुसार जो तथ्य पक्षकारों के कथनों से साबित है वे साबित ही माने जायेंगे ओर अधिक साबित करनें की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु विचारण न्यायालय ने इनत थ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर गौर नहीं कर अपनी हठधर्मिता से ग्रसित होकर उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित फरमाया है, जो कतई चलने योग्य नहीं निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय को राजीनामे के पश्चात यह तय करना था कि उक्त राजीनामे से अन्य किसी पक्षकार पर विपरित प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि किसी दिगर व्यक्ति के खातेदारी व अधिकार की तो नहीं है, उक्त समस्त तथ्य पत्रावली पर उपस्थित जमाबंदी, पक्षकारान के शपथ पत्र व दोनों पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामे से स्वतः ही प्रमाणित है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 03.10.2012 पारित कर वादी के वाद को खारिज फरमा कर विधि की भारी भूल की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने केवल मात्र यह अंकन कर वाद वादी खारिज कर दिया है कि वादी ने लिखित व मौखिक साक्ष्य से दावा साबित नही किया है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य, राजीनामे का विवेचन कर प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर